सं. 21/66/2013-एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल 2013

आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के बारे में।

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में आपकी दिनांक 18.3.2013 की याचिका तथा दिनांक 21.3.2013 के आर टी आई अभ्यावेदन जिसका उत्तर आपको इस मंत्रालय के दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. 21/24/2013-एम एंड जी के तहत भेजा गया था, का उल्लेख करना है।

2. जबकि आपने ऊपर उल्लिखित अपील के तहत निम्नलिखित के संबंध में पूछताछ की है-

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं जांच न करके मामला जांच के लिए रेल मंत्रालय को क्यों सौंप दिया?
(ii) क्या लोक सभा तथा इसकी स्थायी समिति को इस विषय में सूचित कर दिया गया है?

दिनांक 21.3.2013 के आर टी आई अभ्यावेदन के तहत यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अतिरिक्त सदस्य (सतर्कता), रेलवे बोर्ड को भेजे गए पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श पर मामले को बंद करने के संबंध में रेलवे बोर्ड सतर्कता से प्राप्त पत्र की प्रति मुहैया करवाई जाए।

3. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 18.3.2013 की उपर्युक्त याचिका के तहत मांगी गई उक्त सूचना का उल्लेख आपके दिनांक 17.01.2013 के आर टी आई आवेदन में नहीं पाया गया है। अपील स्तर पर कोई और प्रश्न नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अतिरिक्त सदस्य (सतर्कता), रेलवे बोर्ड को भेजा गया पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श पर मामले को बंद करने के संबंध में रेलवे बोर्ड सतर्कता से प्राप्त पत्र गुप्त/गोपनीय दस्तावेज है अतः यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत निषेध है, तथापि, आपसे अनुरोध है कि आप और अधिक सूचना प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग के लोक प्राधिकारी से सम्पर्क करें।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर अपील का निपटान किया जाता है।

एस सुरेश कुमार
(एस. सुरेश कुमार)
संयुक्त सचिव (सी एस) एवं
प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष : 23438100

सेवा में

श्री मिथिलेश कुमार सिंह,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
लोकतांत्रिक समता दल,
डी-184, दरोगा प्रसाद राय रोड,
पटना-800001 (बिहार)

830841DIR(C)-1/1/13
01/04/13

निर्वाचन आयोग
निबंधन संख्या
36/50/2003/J.S.III/I-1962

मिथिलेश कुमार सिंह
वरीय उपाध्यक्ष

लोकतांत्रिक समता दल

प्रधान कार्यालय
डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ,
पटना-800001

मो० : 9801963379

पत्रांक :..................................

दिनांक : 18.3.2013

सेवा में,

श्री एस० सुरेश कुमार,
संयुक्त सचिव (सी०एस०)
सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
गृह मंत्रालय, एन०डी०सी०सी०-II

<u>अपील का आधार एवं मामले से संबंधित तथ्य</u> (प्रथम अपील का पृ-8)

महाशय,

रेलवे विभाग में कंक्रीट स्लीपर खरीदगी में निविदा (Tender) आवंटन में की गयी हेराफेरी एवं बरती गई अनियमितताओं के मामले में 14वीं लोकसभा की स्थायी समिति (Standing Committee) ने गम्भीर आरोप के कारण पूरे मामले की जाँच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराने का आदेश दिया था, जिसका स्पष्ट उल्लेख समिति के प्रथम प्रतिवेदन की कंडिका-146 में है। (प्रतिलिपि संलग्न)

तद्नुसार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) न पुरे मामले की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (C.B.I.) को सौंप दिया था, जिसे सी.बी.आई. ने स्वीकार भी कर लिया था। इसका स्पष्ट उल्लेख समिति के सातवें प्रतिवेदन की कंडिका 1.9 एवं 1.10 में हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

समिति ने जाँच प्रतिवेदन को उनके समक्ष समर्पित करने का भी स्पष्ट आदेश दिया था। इसका भी उल्लेख सातवें प्रतिवेदन की कंडिका 1.10 में दी है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पूरे घोटालों में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ही आरोप के दायरे में था। ऐसी स्थिति में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के अपर सदस्य (सतर्कता) से ही जाँच कराकर मामले को बन्द कर देना न सिर्फ हास्यासपद, अनुचित एवं अनियमित है बल्कि तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार एवं रेल मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों को बचाने की नापाक साजिश भी है।

अतः सूचना देने की कृपा की जाय कि किन परिस्थितियों से सी.बी.आई. ने स्वयं जाँच न कर आरोपी रेल मंत्रालय को ही जाँच करने का दायित्व सौंप दिया? कृपया यह भी सूचना दी जाय कि लोकसभा एवं उसकी स्थायी समिति को उनके आदेशानुसार सी.बी.आई. द्वारा जाँच नहीं कराकर रेलवे बोर्ड द्वारा ही जाँच कराने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी अथवा नहीं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

प्रार्थी
मिथिलेश कुमार सिंह
(मिथिलेश कुमार सिंह)
18.3.2013

DIR(WI)
1/4/13
UCC
US(MG)
SO

प्रथम अपील का फॉर्म

33

प्रपत्र 'छ' (नियम 6 (1) देखें) आई० डी० सं० दिनांक ....

(कार्यालय व्यवहार के लिए)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार - श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव,

विभाग/कार्यालय : गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी. - II

जय सिंह रोड, नई दिल्ली

महाशय,

चूँकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूँकि लोक सूचना पदाधिकारी ---------- के निर्णय से मैं क्षुब्ध हूँ, यह अपील आपके समक्ष दायर करता/करती हूँ। मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है–

1. अपीलकर्ता का नाम : मिथिलेश कुमार सिंह
2. अपीलकर्ता का पता : डी. 104 दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना
3. (क) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम : आशुतोष जैन, निदेशक (पी. एम.) एवं
   लोक सूचना पदाधिकारी का पता : केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
   (ख) विभाग/कार्यालय और पता : एन. डी. सी. सी. - II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
   (ग) निर्णय का विवरण जिसके विरूद्ध अपील दायर किया जाता है
   निर्णय सं० एवं तिथि : सं. - 21/24/2013 - एम. एण्ड जी दिनांक 20.2.2013
4. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने की तिथि :
5. सूचना का ब्यौरा–

फार्म एवं आवेदन के साथ कुल पंद्रह पृष्ठ समर्पित है

(1) सूचना जो माँगी गई।

(2) अवधि जिसके लिए सूचना की माँग की गई।

6. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने के बाद तीस दिन पूरा होने की तिथि :
7. अपील का कारण

(क) फार्म 'क' में आवेदन समर्पित करने के तीस दिनों के अन्दर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक 20.2.2013 से क्षुब्ध।

8. अपील का आधार मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य

चूँकि मामला जनहित से सम्बंधित है। अपील का आधार तथा मामले से सम्बंधित तथ्य संलग्न है।

9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि :
10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया :

मैं घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना का ब्यौरा सत्य है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

मिथिलेश कुमार सिंह
डी. 104 दरोगा प्रसाद राय पथ,
पटना 800001

मिथिलेश कुमार सिंह
आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता अगर कोई हो
9801963379